फर्द अहकाम

जगदीश बनाम गणेश व अ०

499/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1-6-18	पत्रावली कैम्प कोर्ट पीपला पर पेश। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ① ② ③ स्वंय उप०। पैरोकार सरकार उप०। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ① लग० ③ ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। उभयपक्ष को सुना गया। राजस्व लोक अदालत की भावना अनुसार मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

वादी–जगदीश व अन्य | प्रतिवादी–गणेश व अन्य

केस संख्या : 499/2016 वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		–:निर्णय:– आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उप0। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि खाता संख्या 23 के खसरा नंबर 274, 303/5, 305/4, 307, 308, 314, 317, 318, 322, 430, 431/2 कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा व खाता संख्या 22 के खसरा नंबर 309, 320 कुल किता 2 कुल रकबा 10 बिस्वा ग्राम बीरमपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। वर्तमान रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण गणेश, रामराय, सियाराम का 1/4 हिस्सा व वादीगण व मंगली का 3/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है एवं खतौनी संख्या 22 में 1/16 हिस्सा मंगली का दर्ज है। मंगली का देहावसान हो गया है मंगली का खसरा नंबर 309, 320 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बिस्वा में 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है एवं खाता संख्या 23 की आराजी 25 बीघा 16 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण आराजीयात को बेचान खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है,न्यायहित में वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजीयात खाता संख्या 22 मंगली का दर्ज हिस्सा 1/16 एवं खाता संख्या 23 में दर्ज हिस्सा 1/4 के वादीगण खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने राजीनामा में मुख्यतः यह कथन किये है कि पक्षकारान में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। आराजीयात खाता संख्या 22 में मंगली का दर्ज हिस्सा 1/16 में से वादीगण को 2/48 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/48 हिस्सा एवं खाता संख्या 23 में मंगली का दर्ज हिस्सा 1/4 में से वादीगण को 2/12 हिस्सा एवं प्रतिवदी संख्या 1 लगायत 3 को 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं तकासमा का अनुतोष खारिज फरमाया जावे। राजीनामा अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात में मंगली का हक हिस्सा निहित है। मंगली का देहान्त हो चुका है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने राजीनामा के माध्यम से वादीगण वाद स्वीकार कर, राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है न्यायहित में वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खाता संख्या 23 के खसरा नंबर 274, 303/5, 305/2, 305/4, 307, 308, 314, 317, 318, 322, 430, 431/2 कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा ग्राम बीरमपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में मंगली का दर्ज हिस्सा 1/4 में से वादीगण को 2/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/12 हिस्सा का एवं खाता संख्या 22 के खसरा नंबर 309, 320 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बिस्वा ग्राम बीरमपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में मंगली का दर्ज हिस्सा 1/16 में से वादीगण को 2/48 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/48 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीपला में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी